

अध्याय 12

लेखापरीक्षा साक्ष्य

167. लेखापरीक्षा साक्ष्य का अर्थ और लेखापरीक्षणीय सत्त्व के साथ उसकी भागीदारी

लेखापरीक्षा साक्ष्य लेखापरीक्षा परिणामों तथा निष्कर्षों पर पहुँचने के लिए विश्वास किए गए आंकड़ों, सूचना तथा दस्तावेजों को इंगित करता है। लेखापरीक्षा परिणामों को सूचित करते समय नियंत्रक महालेखापरीक्षक, प्रतिवेदनों के अन्दर लेखापरीक्षा परिणामों तथा निष्कर्षों के समर्थन में ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य शामिल कर सकते हैं जो अनिवार्य समझा जाए। तथापि, कामकाजी पेपर के रूप में रखे गए और लेखापरीक्षा का अन्तिम प्रतिवेदन यथा: आडिट नोट्स, निरीक्षण प्रतिवेदनों, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों आदि में स्पष्ट रूप से शामिल न किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्यों की लेखापरीक्षा के विभिन्न चरणों पर लेखापरीक्षणीय सत्त्व के साथ भागीदारी की जा सकती है।

168. लेखापरीक्षा निष्कर्षों के समर्थन के लिए अपेक्षित साक्ष्य प्राप्त किया जाना

लेखापरीक्षा अधिकारी अपने निष्कर्षों के समर्थन के लिए सक्षम, सुसंगत तथा विश्वसनीय साक्ष्य प्राप्त करेगा।

169. आंकड़ों, सूचना तथा दस्तावेजों की आवश्यकता तथा पहुँच

लेखापरीक्षा जांच तथा साक्ष्य के लिए अपेक्षित आंकड़ों, सूचना तथा दस्तावेजों का प्रारूप, प्रकार और विस्तार लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। लेखापरीक्षा की उस समय पर लागू किसी विधि के अधीन इन आंकड़ों, सूचना और दस्तावेजों तक पहुँच होगी। आंकड़ों, सूचना और दस्तावेजों में वे भी शामिल होंगे जो लेखापरीक्षणीय सत्त्व द्वारा किसी तीसरे पक्ष से प्राप्त किए गए हैं और अपने कार्यों के निष्पादन में इन पर निर्भर रहा है। यदि ऐसे तीसरे पक्ष का साक्ष्य, जिन पर लेखापरीक्षणीय सत्त्व निर्भर रहा, लेखापरीक्षा में अपर्याप्त पाया जाता है तो महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के पूर्वानुमोदन से लेखापरीक्षणीय सत्त्व से लेखापरीक्षा द्वारा अतिरिक्त सूचना की मांग की जा सकती है। ऐसी मांग की प्राप्ति पर उसे लेखापरीक्षणीय सत्त्व द्वारा तीसरे पक्ष से प्राप्त किया जाएगा और लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया जाएगा।

170. लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा उपयोग किये जाने वाले साक्ष्य के प्रकार

लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा प्रयुक्त साक्ष्य सामान्यतया तथा जहाँ तक सम्भव हो दस्तावेजी होंगे और इसमें इलैक्ट्रॉनिक रिकार्ड, फोटोग्राफ, किसी अध्ययन या सर्वेक्षण के परिणामों आदि शामिल होंगे। लेखापरीक्षा अधिकारी लेखापरीक्षणीय सत्त्व के आन्तरिक स्रोतों के और बाह्य स्रोतों के साक्ष्य का आधार बना सकते हैं।

171. साक्ष्य बनने वाले आंकड़ों, सूचना तथा दस्तावेजों का प्रमाणीकरण

जहाँ लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षा की जाए वहाँ लेखापरीक्षणीय सत्त्व साक्ष्य बनने वाले आंकड़ों, सूचना तथा दस्तावेजों को प्रमाणित करेंगे।

172. लेखापरीक्षा के अनुरोध पर प्रत्यक्ष सत्यापन आयोजित करना

जहाँ विशेष परिस्थितियों में लेखापरीक्षा द्वारा अपेक्षा की जाय वहाँ लेखापरीक्षणीय सत्त्व लेखापरीक्षा अधिकारी की उपस्थिति में भण्डार, स्टॉक, परिसम्पत्तियों, सेवाओं और किसी भी रूप में सुपुर्दगी योग्य वस्तुओं का प्रत्यक्ष सत्यापन करेगा। ऐसा कोई भी अनुरोध महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के अनुमोदन से ही किया जाएगा।

173. बाह्य एजेंसी अथवा विशेषज्ञ को आबन्ध करना

जहाँ बाह्य एजेंसी अथवा विशेषज्ञ को आबन्धित किया जाता है वहाँ निम्नलिखित बातें लागू होंगी:

- (क) किसी एजेंसी या विशेषज्ञ को नियुक्त करने वाले नियुक्ति पत्र में ऐसी सम्बद्ध एजेंसी या विशेषज्ञ के कर्तव्य, दायित्व तथा शक्तियों सहित निबन्धनों का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।
- (ख) लेखापरीक्षा कार्यालय नियुक्ति पत्र जारी किए जाने और बाह्य एजेंसी या विशेषज्ञ द्वारा कार्य आरम्भ किए जाने से पूर्व ऐसी सम्बद्ध एजेंसी या विशेषज्ञ के संबन्ध में निबन्धनों, जिनमें कर्तव्य, दायित्व तथा शक्तियां शामिल हैं, सहित बाह्य एजेंसी या विशेषज्ञ को सम्बद्ध करने के संबंध में सरकारी विभाग तथा लेखापरीक्षणीय सत्त्व को सूचित करेगा।
- (ग) लेखापरीक्षा कार्यालय बाह्य एजेंसी या विशेषज्ञ के कार्य के आधार पर निरूपित विचारों या निकाले गए निष्कर्षों या अपने प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के लिए उत्तरदायी होगा।